NEXT IAS

दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

संघर्ष और अस्थिरता के बीच महिलाओं के अधिकारों की रक्षा

संघर्ष और अस्थिरता के बीच महिलाओं के अधिकारों की रक्षा

संदर्भ

- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की थीम **'अधिकार, न्याय, कार्रवाई: सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए'** इस आवश्यकता को रेखांकित करती है कि केवल प्रतीकात्मक प्रतिबद्धताओं से आगे बढ़कर ठोस कदम उठाए जाएँ, विशेषकर ऐसे विश्व में जो बढ़ते हुए सशस्त्र संघर्षों, विस्थापन और मानवीय संकटों से प्रभावित है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (IWD) के बारे में

- यह प्रतिवर्ष 8 मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य महिलाओं की उपलब्धियों का उत्सव मनाना और लैंगिक समानता व महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना है। यह एक श्रमिक आंदोलन की पहल से विकसित होकर लैंगिक समानता के लिए वैश्विक मंच बन चुका है।

प्रमुख ऐतिहासिक माइलस्टोन

- **1900 के शुरुआती दशक:** श्रमिक और समाजवादी आंदोलनों में महिलाओं ने बेहतर कार्य परिस्थितियों, मताधिकार एवं समानता की माँग की।
- **1911:** कई यूरोपीय देशों में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।
- **1975:** संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना प्रारंभ किया।
- **1977:** संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सदस्य देशों को 8 मार्च को महिलाओं के अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित करने हेतु आमंत्रित किया।
- **वर्तमान:** लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण पर समर्थन का वैश्विक दिवस।

थीम (2026): 'अधिकार, न्याय, कार्रवाई: सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए'

- **अधिकार:** महिलाओं के अधिकार मौलिक मानवाधिकार हैं, जिनमें कानून के समक्ष समानता; शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुँच; हिंसा एवं भेदभाव से मुक्ति; तथा राजनीतिक भागीदारी शामिल है।
- **न्याय:** इसमें लैंगिक हिंसा के लिए जवाबदेही; शांति और संघर्ष के दौरान महिलाओं की रक्षा हेतु कानूनी ढाँचे; तथा लैंगिक समानता के लिए संस्थागत तंत्र शामिल हैं।
- **कार्रवाई:** इसका अर्थ है वैश्विक प्रतिबद्धताओं का क्रियान्वयन; समावेशी शासन और शांति प्रक्रियाएँ; तथा प्रतीकात्मक घोषणाओं के बजाय ठोस नीतिगत उपाय।

महिलाओं की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है?

- महिलाओं की भागीदारी शांति निर्माण के परिणामों को उल्लेखनीय रूप से बेहतर बनाती है। इसके लाभ हैं:
  - वार्ताओं में व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व।
  - मानवीय और सामुदायिक मुद्दों पर अधिक ध्यान।
  - शांति समझौतों की स्थायित्व में वृद्धि।
  - संघर्षोत्तर शासन में समावेशिता।

- जिन शांति समझौतों में महिला हस्ताक्षरकर्ता और प्रतिभागियों की भागीदारी होती है, उनके दीर्घकाल तक टिके रहने की संभावना अधिक होती है। यह तथ्य कूटनीति एवं शासन में लैंगिक समावेशन के रणनीतिक महत्व को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है।

महिलाओं के अधिकार, न्याय और कार्रवाई से संबंधित मुद्दे एवं चिंताएँ

- **लैंगिक हिंसा:** यौन हिंसा, बलात्कार और शोषण प्रायः युद्ध की रणनीति के रूप में प्रयुक्त होते हैं, साथ ही घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और तस्करी भी।
  - यह महिलाओं के मौलिक अधिकारों, सामाजिक भागीदारी एवं आर्थिक स्वतंत्रता को कमजोर करता है।
- **न्याय तक सीमित पहुँच:** जहाँ कानूनी संरक्षण उपस्थित है, वहाँ भी महिलाएँ न्यायिक प्रणालियों तक पहुँचने में बाधाओं का सामना करती हैं।
  - संस्थागत कमजोरियाँ और सांस्कृतिक अवरोध प्रायः महिलाओं को हिंसा एवं भेदभाव के लिए कानूनी उपाय प्राप्त करने से रोकते हैं।
- **निर्णय-निर्माण में अल्प-प्रतिनिधित्व:** महिलाएँ राजनीतिक और शासन संरचनाओं में उल्लेखनीय रूप से कम प्रतिनिधित्व रखती हैं।
- **आर्थिक असमानता:** आर्थिक विषमताएँ महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वायत्तता को सीमित करती हैं।
  - यह महिलाओं की अधिकारों का प्रयोग करने और सामाजिक-राजनीतिक जीवन में पूर्ण भागीदारी की क्षमता को कम करती है।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक अवरोध:** पारंपरिक मानदंड और पितृसत्तात्मक संरचनाएँ प्रायः महिलाओं के अधिकारों एवं अवसरों को सीमित करती हैं।
  - ऐसे मानदंड लैंगिक असमानता को सुदृढ़ करते हैं तथा महिलाओं की स्वायत्तता को बाधित करते हैं।
- **विस्थापन और असुरक्षा:** शरणार्थियों और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों में महिलाओं और बच्चों का बड़ा हिस्सा होता है।
- **मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव:** अवसाद, चिंता और आघातोत्तर तनाव विकार (PTSD) के मामलों में वृद्धि।
- **संस्थागत और नीतिगत अंतराल:** यद्यपि CEDAW और UNSCR 1325 जैसे अंतरराष्ट्रीय ढाँचे लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हैं, लेकिन क्रियान्वयन असंगत रहता है।
  - ये अंतर वैश्विक प्रतिबद्धताओं और जमीनी वास्तविकताओं के बीच असंगति उत्पन्न करते हैं।

प्रतिबद्धताओं और वास्तविकता के बीच अंतर

- अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के बावजूद, **महिला, शांति और सुरक्षा** एजेंडा का क्रियान्वयन सीमित ही रहा है।
- **प्रमुख चुनौतियाँ:**
  - शांति वार्ताओं में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व।
  - **UNSCR 1325** के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्य योजनाओं (NAPs) का कमजोर क्रियान्वयन।
  - अपर्याप्त जवाबदेही तंत्र।
  - स्थायी पितृसत्तात्मक राजनीतिक संरचनाएँ।
- शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं का औपचारिक रूप से हाशिए पर रहना, जबकि उनके सकारात्मक प्रभाव के पर्याप्त प्रमाण विद्यमान हैं।

वैश्विक ढाँचा: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1325

- युद्ध के लैंगिक प्रभावों को मान्यता देते हुए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वर्ष 2000 में महिलाओं, शांति और सुरक्षा (WPS) पर **प्रस्ताव 1325** को अपनाया।
- **UNSCR 1325 के उद्देश्य:** यह प्रस्ताव निम्नलिखित का आह्वान करता है:
  - सशस्त्र संघर्ष में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा।
  - शांति वार्ताओं और निर्णय-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी।
  - लैंगिक हिंसा की रोकथाम।
  - शांति स्थापना और पुनर्निर्माण में लैंगिक दृष्टिकोण का समावेश।
- यह एक ऐतिहासिक परिवर्तन था, जिसने यह स्वीकार किया कि महिलाएँ केवल संघर्ष की पीड़ित नहीं हैं, बल्कि शांति निर्माण की महत्वपूर्ण कारक भी हैं।

आगे की राह: नीतिगत उपाय

- 2026 की थीम को सार्थक बनाने के लिए ठोस कदम आवश्यक हैं। इनमें शामिल हैं:
  - शांति वार्ताओं और राजनीतिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना।
  - **UNSCR 1325** और राष्ट्रीय कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन सुदृढ़ करना।
  - संघर्ष क्षेत्रों में लैंगिक हिंसा के विरुद्ध सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करना।
  - खाद्य, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और वित्तीय सहायता सहित मानवीय सहयोग प्रदान करना।
  - संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों में महिला संगठनों और जमीनी पहलों का समर्थन करना।
  - लैंगिक-संवेदनशील शासन और संघर्षोत्तर पुनर्निर्माण को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 वैश्विक समुदाय को यह स्मरण कराता है कि लैंगिक समानता शांति और सुरक्षा से अलग नहीं की जा सकती।
- यद्यपि **UNSCR 1325** जैसी वैश्विक प्रतिबद्धताएँ संघर्ष समाधान में महिलाओं की भूमिका को मान्यता देती हैं, लेकिन सतत क्रियान्वयन अंतराल प्रगति को कमजोर करते रहते हैं।
- सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, न्याय और कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्धताओं को ठोस नीतियों में परिवर्तित करना आवश्यक है, विशेषकर संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों में।
- महिलाओं की रक्षा करना और उन्हें शांति निर्माण में भागीदारी हेतु सक्षम बनाना सतत शांति एवं समावेशी विकास के लिए अनिवार्य है।

Source: TH

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: चर्चा कीजिए कि किस प्रकार लैंगिक हिंसा, विस्थापन और आर्थिक असुरक्षा संघर्ष की परिस्थितियों में महिलाओं के अधिकारों को कमजोर करती है।